फर्द अहकाम

हनुमान सहाय बनाम गोपाल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या ....75..../ 2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.03.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर दिनांक ...17/4/25... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 2021-2027 20/3/25
	17/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 बावजूद रजिस्टर्ड एडी सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के विरुद्ध तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादी/प्रार्थी ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है दावे का निस्तारण साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर किया जावेगा। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 को ता-फैसला दावा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2967 रकबा 0.27 हे०, 3348/03 रकबा 0.53 हे०, 3349 रकबा 0.25 हे० कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 हे० वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे रुकावट व मजाहमत ना करे तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके से बेदखल ना करे। तथा मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया जाता है। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	